भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2453

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण 1948 (शक)

आईटी कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

†2453. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आईटी कंपनियों द्वारा पूर्व सूचना के बिना कर्मचारियों की सामूहिक छंटनी करके श्रम कानूनों का उल्लंघन किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का आईटी कंपनियों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति से निपटने के लिए विनियामक उपाय लागू करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): "श्रम" समवर्ती सूची का विषय है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सीमांकित उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकारें कामगारों की समस्याओं के समाधान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करती हैं। केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थापनों में, केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) को सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाए रखने तथा सेवा-समाप्ति, छंटनी या कामबंदी और उसकी रोकथाम से संबंधित मामलों सहित कामगारों के हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। निजी क्षेत्र से संबंधित डेटा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा रखा जाता है।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में कामगारों के अधिकारों और रोजगार की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपबंध किए गए हैं, जिनमें अनिवार्य नोटिस अवधि, छंटनी मुआवजा और छंटनी किए गए कामगारों को पुन: नियोजन में प्राथमिकता देने के उपबंध के रूप में सुरक्षोपाय शामिल हैं। इस संहिता में पहली बार छंटनी किए गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिए कामगार पुनर्कौशल कोष की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य छंटनी किए गए कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे उक्त राशि का उपयोग अपने पुनर्कौशल के लिए कर सकें। सामूहिक वार्ता को सुदृढ बनाने के लिए वार्ता संघों/वार्ता परिषदों को सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत लाया गया है।

इसके अलावा, जिन औद्योगिक स्थापनों में 300 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं, उन्हें कामबंदी, छंटनी और स्थापन बंद करने के लिए समुचित सरकार से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित है।
